FORM NO. 111

फर्द–अहकाम

नाम न्यायालय– उपखण्ड़ अधिकारी बस्सी, जयपुर

प्रार्थी
रामराय
बनाम
अप्रार्थीगण
जगदीश व अन्य

केस संख्या 146/2024

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी.

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
29.11.2024	प्रार्थी/वादी की ओर से वकील श्री कुलदीप किशोर शर्मा एड0 ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र बाबत मूल वाद पत्र को पुनः स्थापित करने अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि न्यायालय द्वारा उनवानी प्रकरण रामेश्वर बनाम जगदीश वगै0 मुकदमा संख्या 14/11 (5/2011) को दिनांक 28.03.2024 को प्रार्थी व वकील प्रार्थी की अनुपस्थिति में अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा न्यायालय समय में उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 28.03.2024 को नियत तारीख पेशी पर नहीं आने व प्रार्थी को तारीख पेशी का मुगालता होने के कारण तथा अधिवक्ता के अन्य न्यायालय में न्यायिक कार्य में व्यस्त रहने के कारण माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके। प्रार्थी के अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित आने से पूर्व ही पत्रावली को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज फरमाये जाने के आदेश हो चुके थे। प्रार्थी के प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिये जाने के लिए यह प्रार्थना पत्र वाजदायरी पेश किया जा रहा है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाजदायरी पर अप्रार्थी को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं उक्त प्रा0 पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन करने के पश्चात् वकील प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र बाबत वाद पत्र को पुनः स्थापित करने बाबत अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा उक्त उनवानी प्रकरण रामेश्वर बनाम जगदीश वगै0 मुकदमा संख्या 14/11 (5/2011) को पुनः नम्बर पर लिया जाता है तथा वादपत्र में आगामी पेशी 18.12.2024 नियत की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। उपखण्ड़ अधिकारी बस्सी	